(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

पीठासीन अधिकारी – दमयंती कंवर आर.ए.एस.

राजेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति राजपूत निवासी चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।	–बनाम–	क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय वन विभाग नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
किस्म मुकदमा –दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. 115/2021 GCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
9.11.21	माननीय राजस्थान सरकार के आदेशानुसार कोरोना एडवाईजरी जारी होने के फलस्वरूप न्यायालय कार्य स्थिगित होने पर पत्रावली आज तारीख पेशी पर पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली में क्षैत्राधिकार बाबत अधिवक्ता वादी को सुना गया। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस क्षैत्राधिकार बाबत तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि आबादी की भूमि है, जिसमें वर्तमान में भी आबादी बसी हुई है। वादी ग्राम चिराना का सरपंच है जो जन प्रतिनिधि होने के कारण वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है। वादग्रस्त भूमि वन विभाग के नाम से राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गई। उक्त भूमि को आबादी में घोषित किया जाकर वन विभाग के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड से मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया। तथा वादी अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 1996 PAGE NO. 540-543 AND RRD 1990 PAGE NO. 564-567 आदि पेश किये। वादी अधिवक्ता के तर्क, पत्रावली व प्रस्तुत नजीर का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी स्वयं वादग्रस्त भूमि को आबादी भूमि मानता है और आबादी भूमि घोषित करवाना चाहता है। इस संबंध में विधि का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि आबादी भूमि के संबंध में तथा वन विभाग के विरूद्ध प्रकरण से सम्बन्धित सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया गया जो इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र आबादी भूमि से सम्बन्धित होने के कारण वादी का वाद–पत्र आदेश 07 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाया जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा मूल वाद–पत्र मय दस्तावेज वादी को लौटाया जाने के आदेश राजस्व लिपिक को दिया जाता है कि वह निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये मूल वाद–पत्र मय असल दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर मूल वाद–पत्र वादी को लौटाया जावे। पत्रावली में और कोई कार्यवाही होना अपेक्षित नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। दमयंती कंवर (R.A.S.) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:20 IST
Reason: SelfAttested